

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक-177 / 16

संस्थापित दिनांक 15 / 10 / 2016

फाईलिंग नं. 233504001032016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

1. रामनाथ पिता चिन्धया, उम्र 75 वर्ष,
 2. गोविन्दा पिता रामनाथ, उम्र 39 वर्ष,
- उक्त तीनों-पेशा किसानी, नि0ग्राम कनौजिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-20 / 10 / 2016 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-294, 323/34 (दो बार), 506 भाग-2 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 25/03/16 समय शाम 7:00 बजे के करीब या उसके लगभग प्रार्थिया के घर के पीछे खेत ग्राम कनौजिया आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी रघुनाथ को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया, आपने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रघुनाथ एवं आहत् ख्यालीराम ने हाथ लठ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फरियादी रघुनाथ को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25/03/16 के शाम 07:30 बजे की बात है। वह उसके घर के पीछे सब्जी के खेत पर जानवर फेरने गया था। तभी उसका बड़ा भाई रामनाथ और उसका बेटा गोविन्दा उसके भैंसों को लेकर उसके सब्जी के खेत पर से लेकर आ रहा था तो उसने भाई रामनाथ से बोला कि सब्जी के खेत में भैंसों को क्यों ला रहा है। सब्जी खा रही है। इसी बात को लेकर रामनाथ और उसका बेटा गोविन्दा उसे मां बहन की मादर चोद बहन चोद की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। रामनाथ और गोविन्दा दोनों ने उसे लठ से उसके

दोनों पैरों के जांघ पर मारा, जिससे उसे मूंदी चोट आकर दर्द हो रहा है। इतने में झगड़ा देखकर उसको बेटा ख्यालीराम आया। बीच बचाव किया बेटा ख्यालीराम का भी गोविन्दा ने लठ से पैर में मारा। जिससे उसे बेटे को चोट आई है। दोनों बोल रहे थे कि मादर चोद तुम लोग थाने रिपोर्ट करने गये तो जान से मार देंगे। झगड़ा मुकेश बहू श्यामकली ने देखा है।

03— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र०पी०-1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 154/16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 294, 323, 34, 506 भाग-2 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 29/03/16 को द टटना का नक्शा मौका प्र०पी०-4 बनाया गया, फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 05, 06 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं० प्र० सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1. “आपने दिनांक 25/03/16 समय शाम 7:00 बजे के करीब या उसके लगभग प्रार्थिया के घर के पीछे खेत ग्राम कनौजिया आमला, जिला बैतूल म० प्र० के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी रघुनाथ को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?”
2. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रघुनाथ एवं आहत ख्यालीराम को हाथ लठ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?”
3. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी रघुनाथ को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न कं. 02 का निराकरण

06— अभियोजन साक्षी रघुनाथ (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय उसके जानवरों को बांधने गया था, तभी आरोपीगण उनकी भैंस लेकर उसके खेत में आ रहे थे। भैंसे उसकी सब्जियाँ खाकर नष्ट कर रही थी। उसने आरोपीगण को कहा कि भैंस को लेकर बाहर जावो इसी बात को लेकर आरोपीगण ने

उसे गंदी-गंदी गालियाँ दिया और आरोपी गोविन्दा ने उसे चार लठ मार दिया आरोपी ने उसके लड़के ख्यालीराम को चार लाठियों मारा था। मारपीट से उसकी दोनों पैर की जांघ व कमर पर चोट आई थी और ख्यालीराम को भी चोट आई थी। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

07— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि मकान के पास से रास्ते को लेकर आने जाने का विवाद हैं। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण रास्ते से आने जाने नहीं देते है इसलिए उसने रिपोर्ट की थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि यदि उसका भाई उसे रास्ते से आने जाने देता तो उसकी वह रिपोर्ट नहीं करता है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि वह विवाद अलग है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि फरियादी एवं अभियुक्तगण के बीच मकान के रास्ते को लेकर आने जाने का विवाद है। अर्थात् रंजिश है। रंजिश दुधारी तलवार होती है। फरियादी अभियुक्तगण को झूठा फंसा भी सकती है और अभियुक्तगण फरियादी को मार भी सकते है। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे कोई तथ्य नहीं लाए है कि फरियादी के शरीर में जो चोट पाई गई है वह चोट गिरने से आई हैं या अन्य किसी चीज से चोट पाई गई है। उक्त तथ्यों को प्रतिपरीक्षा में न लाने के कारण यही माना जायेगा कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई।

08— अभियोजन साक्षी ख्यालीराम (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय वह खेत पर था, तभी रामनाथ ने भैंस लाकर उनके सब्जियों को चरा दिया था कुछ भैंस खेत में रह गये और कुछ घर को चले गये, वहां पर गोविन्दा आ गया और उसके पिताजी को दो लठ मारा और उसे दो लठ मार दिया, मारपीट से उसके पिताजी को कमर एवं पैर में चोट आई और उसे पैर में चोट आई। आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न में स्वीकार किया है कि रामनाथ ने उसके पिताजी एवं उसके पिताजी एवं उसके साथ मारपीट भी किया था। आगे इस गवाह ने यह भी बताया कि उसने पुलिस को प्र0पी0 2 का बयान देते समय यह सब बातें बता दिया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण को उसके घर में आने जाने के लोकर रास्ते में 25 साल से रंजिश चली आ रही है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि आज भी उनके आने जाने से रोक रहे है। रास्ते से आने जाने नहीं देते है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि रास्ते को लेकर विवाद है और विवाद के कारण ही फरियादी रघुनाथ एवं आहत ख्यालीराम के साथ आरोपीगण ने मारपीट की। क्योंकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि दोनों भाईयों के बीच विवाद हो रहा था तो गोविन्द वहां पर नहीं था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि तब गोविन्दा आ गया था। उसके पिताजी के उपर वार किया और उसके उपर भी वार किया। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रघुनाथ आहत ख्यालीराम के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

09— अभियोजन साक्षी मनीष जौन्जारे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है

कि आहत ख्यालीराम का परीक्षण किया था आहत को सूजन दर्द को सूजन दर्द एवं घसीटा बांये पैर की जांघ में पीछे की ओर 10 से०मी० गुणित 4 से०मी० घसडा था और उक्त चोट कडे एवं चोट कडे एवं सख्त वस्तु से आई थी। चोट सामान्य प्रकृति की थी। आहत के आई चोटे उसके परीक्षण से 1 से 3 घंटे के अंदर की थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी० 8 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी प्रकार इस गवाह के द्वारा आहत रघुनाथ का चिकित्सा परीक्षण किया गया जिसके आहत के दर्द और सूजन बांये पैर के जांघ में बाहर की ओर 6 से०मी० गुणित 6 से०मी० आकार की पाई थी। चोट कं 2 ललिमा सूजन के साथ और दर्द बांये पैर के घुटने के उपर 4 से०मी० गुणित 4 से०मी० पाई थी। चोट कं. 3 खरोंच सूजन के साथ दर्द गर्दन के मध्य में 4 से०मी० गुणित 4 से०मी० थी। उक्त आहत को आई चोट कडे एवं बोथरे हथियार से आई थी जो 1 से 3 घंटे के अंदर की थी जो सामान्य प्रकृति की थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी० 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

10— इस प्रकार डॉ० मनीष जौन्जारे के द्वारा मुख्य परीक्षा में आहत रघुनाथ और ख्यालीराम को चोट उनके शरीर में बताई है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया है। बल्कि इस गवाह को प्रतिपरीक्षा में यह सुझाव दिया गया है जिसे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि किसी कड़े या सख्त वस्तु से टकराने से उक्त प्रकार की चोट आना संभव है। किन्तु बचाव पक्ष की के द्वारा प्रतिपरीक्षा में फरियादी को ऐसे कोई सुझाव नहीं दिये हैं कि फरियादी रघुनाथ और ख्यालीराम को कड़े या सख्त वस्तु से टकराने से कारित हुई हैं बल्कि डॉ० मनीष जौन्जारे की साक्ष्य ने जो आहतगणों के शरीर में जो चोट बताई है उक्त चोटें घटना में कारित होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

11— प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25/03/16 की समय 18:30 बजे और उक्त दिनांक को ही समय 22:40 बजे थाने पर सूचना दी गई है। उसके पश्चात् डॉ० मनीष जौन्जारे के द्वारा दोनों आहतों का परीक्षण किया गया है जो कि घटना में कारित होने के तथ्य को स्पष्ट करते हैं। फरियादी रघुनाथ (अ०सा०१) ने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

12— अभियोजन साक्षी मुकेश (अ०सा०३) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

13— अभियोजन साक्षी शिवकलीबाई (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी रामनाथ एवं गोविन्दा ने उसके पति को बहुत गाली बकी और गोविन्दा एवं रामनाथ ने उसके पति को जांघ एवं कंधे पर लाठी मार दिया झगडा हुआ तो वह बाहर निकले थे और रघुनाथ के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि रास्ते के विवाद को लेकर ही उन दोनों परिवार के बीच में रंजिश चल रही है। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जब वह घर के बाहर आई तो गोविन्दा और रामनाथ ख्यालीराम को मार रहे थे, उसने देखा। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसके सामने कोई लड़ाई झगडा मारपीट नहीं हुई। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा व

प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि जब आरोपीगण के द्वारा लठ से मारपीट की गई, उस समय इस गवाह ने अपने आंखों से देखा जो कि घटना कारित होने की पुष्टि होती है।

14— अभियोजन साक्षी एस0एस0 पटेल (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने घटना स्थल पर जाकर श्यामकली की निशानदेही पर घटना स्थल मौका नक्शा प्र0पी0 4 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 03/04/16 को गवाहों के समक्ष आरोपी रामनाथ एवं गोविन्दा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 5 एवं 6 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी रघुनाथ, गवाह ख्यालीराम, मुकेश, श्यामकली के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया जिसमें अपने से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि उसने विवेचना के दौरान फरियादी एवं आरोपी के बीच में घर में आने जाने को लेकर रास्ते के विवाद लेकर रंजिश की बात आई थी। अर्थात् आरोपी एवं फरियादी के बीच रंजिश थी उक्त रंजिश दुधारी तलवार होती है। अभियुक्तगण मार भी सकते हैं और फरियादी झूठा भी फंसा सकती है। किन्तु बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि फरियादी के द्वारा अभियुक्तगणों को झूठा फंसाया गया है।

15— जबकि यह गवाह विवेचना अधिकारी है। इस गवाह ने घटना स्थल पर जाकर मौका नक्शा को सत्यापित किया है। साक्षी रघुनाथ, ख्यालीराम ने कथन देने के तथ्यों का समर्थन किया है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा की कार्यवाही को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। बल्कि उसके द्वारा की गई कार्यवाही घटना घटित होने की तथ्यों की पुष्टि करती है।

16— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सह-अभियुक्तगण ने फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रघुनाथ एवं आहत् ख्यालीराम को हाथ लठ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 02 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं0 1 व 3 का निराकरण

17— अभियोजन साक्षी रघुनाथ (अ.सा.1) ने अपनी मुख्यपरीक्षा में किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी, यह स्पष्ट नहीं किया है। अभियोजन ख्यालीराम (अ0सा02) ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में बताया है कि मादर चोद की गंदी-गंदी गालियाँ दिया जो बुरी लगी थी।

18— इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गालियाँ अपने आप में शिष्टाचार के विपरीत प्रकट होती हैं, लेकिन जो भा.द.वि. की धारा-294 में अश्लील भाव की परिसंकल्पना की गयी है, उसकी कोटि में ये शब्दावली नहीं आती, क्योंकि अश्लील शब्द की जो परिसंकल्पना की गयी है, उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो कि सुनने

वाले व्यक्ति को दूषित अवनति की ओर ले जाता हो। उसके मन में दूषित विचारों यथा—कामुक, यौन मनोवेग आदि को उत्पन्न करता हो। विचारणीय शब्द ऐसा कोई विचार उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये क्षणिक आवेग के फलस्वरूप बिना उस शाब्दिक भाव के प्रयुक्त होते हैं, जो कि इन शब्दों से जुड़ा हुआ है। इससे आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-294 का आरोप गठित नहीं होता। इस संबंध में न्यायालय द्वारा अपनाये जा रहे दृष्टिकोण को बल, माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत सोबरन बनाम म०प्र० राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्टनोट 135 व विष्णु प्रसाद बनाम म०प्र० राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नोट 148 में अवधारित विधिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है।

19— अभियोजन साक्षी रघुनाथ (अ०सा०1) एवं ख्यालीराम (अ०सा०2) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे किस प्रकार की धमकी दी जिससे उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित हुआ। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 3 का निरकारण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

20— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रघुनाथ एवं आहत् ख्यालीराम को हाथ लठ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने फरियादी रघुनाथ को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने फरियादी रघुनाथ को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण रामनाथ, गोविन्दा भा०द०वि० की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा०द०वि० की धारा 323/34(दो बार) का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्तगण रामनाथ, गोविन्दा को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

21— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र खातरकर ने व्यक्त किया कि अभियुक्तगण प्रथम अपराधी है और परिवार के कर्ता सदस्य है। अभियुक्त रामनाथ 75 वर्ष का होकर वृद्ध व्यक्ति है। अभियुक्तगण के जेल जाने से उनके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उन्हें

अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

22— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी वह आहत को हाथ, लठ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की है। उक्त अपराध साधारण प्रकृति का अपराध है। साथ ही आरोपीगण विचारण में भाग लेते रहे हैं अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को कारावास की सजा न दी जाकर अर्थदण्ड से दंडित किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः निम्न तालिका अनुसार अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

क्रं	अभियुक्तगण	धारा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यक्ति- क्रम में साधारण कारावास
1.	रामनाथ	323/34(दो बार) भा.द.वि.	अभियुक्त को आहत रघुनाथ, ख्यालीराम के संबंध में 1000/- 1000/- (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम पर क्रमशः 2-2 (दो-दो) माह का साधारण कारावास से भुगताया जावे।
2.	गोविन्दा	323/34(दो बार) भा.द.वि.	अभियुक्त को आहत रघुनाथ, ख्यालीराम के संबंध में 1000/- 1000/- (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम पर क्रमशः 2-2 (दो-दो) माह का साधारण कारावास से भुगताया जावे।

23— प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है।

24— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी रघुनाथ को क्षतिपूर्ति राशि 1000/- (एक हजार) रुपये एवं आहत ख्यालीराम को क्षतिपूर्ति राशि 1000/- (एक हजार) रुपये प्रदान किया जावे और शेष राशि राजसात की जावे।

25— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।

26— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०